ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 109-110
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

भारतीय कृषक समाज में महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका

मनोज कुमार मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर (उ0प्र0)

Received- 07.08.2020, Revised- 11.08.2020, Accepted - 14.08.2020 E-mail: -chanakyacom3@gmail.com

सारांश : *"हमारे देश में हर रोज खेतों में करोड़ों की संख्या में महिला कृषक काम करती हैं और वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं क्योंकि खेती के अनेक कार्यों की जिम्मेदारी उन पर हेती है। कृषि क्षेत्र के कार्यबल में महिलायों का सबसे बड़ा प्रतिशत शामिल है। फिर भी इन कृषक महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता है, उन्हें परिवार के कमाऊ सदस्य की संज्ञा नहीं दी जाती तथा परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने के बाद भी उन्हें पुरुष सदस्यों के समकक्ष स्थान प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत आलेख भारतीय कृषक समाज में महिलाओं की भूमिका एवं उसकी प्रस्थिति को उजागर करने का प्रयास कर रहा है।"*

कुंजीभूत शब्द– महिला कृषक, काम, ग्रामीण, अर्थव्यवस्था, रीढ़, कार्यों, जिम्मेदारी, कार्यबल, प्रतिशत।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है तथा जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। हम जब भी कभी कामकाजी महिलाओं की बात पर करते हैं तो हमारे मन में टैम्पो, बसों, कारों में और ट्रेनों में हर रोज दतर जाने वाली महिलाओं की छवि अपने आप उभर आती है। कृषि क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत है, और कई देशों में यह प्रतिशत 70 प्रतिशत तक है। विकासशील देशों में 80 प्रतिशत कृषि उत्पादन छोटे किसानों के बलबूते होते हैं, जिनका निर्माण अधिकांशतः ग्रामीण महिलाओं ही करती हैं।

सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक 'डॉ0 स्वामीनाथन' के अनुसार–"विश्व में खेती का सूत्रपात और वैज्ञानिक विकास का प्रारम्भ महिलाओं ने ही किया।" चक्रवर्ती के अनुसार, घर और खेत पर महिलाओं का देश के आर्थिक विकास में लगभग 50 प्रतिशत योगदान रहता है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनीकरण और नवीन प्रौद्योगिकी का महिलाओं द्वारा स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण बात समझी जाती है।

महिलाओं के प्रत्यक्ष योगदान एवं सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप भारत अनेक प्रकार के फल, सब्जी और अनाज के मामले में महत्वपूर्ण उत्पादक देश बन गया है। पशुपालन, मछली पालन, चटनी, अचार, मुरब्बे यॉनि कि खाद्य परिरक्षण, हथकरघा, दस्तकारी जैसे कामों में ग्रामीण महिला पीछे नहीं है। वे खेतों में काम करने के अलावा कृषि सम्बन्धी मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती हैं। जिस अनुपात में कृषि की तकनीक में उन्नति हुई है उसी अनुपात में कृषक के श्रम की उत्पादकता तथा कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाज की भैतिक समृद्धि मुख्य रूप से कृषि की तकनीक पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास में कृषि की शक्ति के आधार में भी परिवर्तन हो गया है; जैसे कि खुरपी–कुदाली संस्कृति में भार ढोने वाले पशुओं अथवा किसी प्रकार की शक्ति के उपयोग की गुंजाइश नही होती है। हल का उपयोग, भार ढोने वाले पशुओं की सहायता से किया जाता है। ट्रैक्टर में भार ढोने वाले पशुओं की आवश्यकता भी नहीं रहती है और वह तेल की शक्ति (Oil-Power) से संचालित होता है।

उत्पादन की तकनीक ही उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए समाज के सदस्यों के श्रम विभाजन को निर्धारित करती है। इसके द्वारा उत्पादन–प्रक्रिया में निश्चित कार्यों का आविर्भाव होता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न श्रमिक समूहों का उद्भव होता है और उनमें से प्रत्येक समूह उत्पादन में एक विशिष्ट कार्य करता है।

जहाँ कृषि हल पर आधारित होती है वहाँ श्रम विभाजन सीमित होता है। कृषि उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अपनी विभिन्न अवस्थाओं में कृषक परिवार द्वारा ही संचालित होती है और श्रम–विभाजन उसके सदस्यों तक ही सीमित रहता है जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। पचास के दशक में महिलाएं घर के काम–काज तक ही सीमित थीं, परन्तु विगत दो दशकों से कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। विकासशील देशों में कृषि कार्यों में इनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है, परन्तु अभी भी महिलाओं को ज्यादातर खेतिहर श्रमिक अथवा पुरुष सहायक ही समझा जाता है। अधिकांशतः

महिलाओं को खेती के लिये उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता और न ही बेहतर फसल होने पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। वे एक खेतिहर श्रमिक की भूमिका निभाती रही हैं। इसके अलावा हमारे देश तथा अन्य देशों में कृषि कार्य कर रही महिलाआं को पुरुषों की अपेक्षा मेहनताना भी कम मिलता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर महिलायें खेतों में काम करने के बाद भी घरेलू काम करती हैं। फिर भी उन ग्रामीण महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता।

आर0एल0 स्टाइफ ने अल्मोड़ा जिला उत्तर प्रदेश की बन्दोबस्त रिपोर्ट में लिखा है कि स्त्रियां ही मिट्टी के ढेले तोड़ती हैं और फसल लगाती हैं। जिन स्थानों पर जाने में मुझे भय प्रतीत होता है उन स्त्रियों का ही साहस है कि वहाँ चढ़कर घास काट बड़े–बड़े बोझ पीठ पर लाद कर लायें। वे ही खाद को खेतों तक पहुँचाती हैं, जंगल से लकड़ी लाना और घारे या नालों से पानी लाना उनके ही जिम्मे है। वे मानव अधिकारों से वंचित हैं।

कृषि कार्यों अर्थात खेती के कामों में महिलाओं की भूमिका को अधोलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है–

1. मिट्टी के ढीले तोड़ना एवं भुरभुरा बनाना।
2. खेत की सफाई करना।
3. खेत से घास काटना एवं उसे जलाना।
4. खेतों में धान की रोपाई करना (लगाना) एवं बीज बोना।
5. फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना एवं उर्वरक डालना।
6. फसलों से खरपतवार निकालना।
7. फसलों की सिंचाई करना।
8. फसल की कटाई करना एवं फसल को सिर पर बोझ उठाकर एक जगह एकत्रित करना और अनाज बनाना।
9. परम्परागत कृषि यंत्रों के साथ नवीन कृषि यंत्रों का भी अच्छी तरह प्रयोग करना।
10. वर्षभर कृषि, मजदूरी सम्बन्धित कार्यों को करना।
11. पशुपालन के कार्य अच्छी तरह करना।

इन सबके बावजूद महिलायें पुरुषों के समान ही खेतों में काम करती है फिर घर का कार्य करके महिलायें दोहरी भूमिका निभाती हैं।[6]

कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हुए भी उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कार्यों में लगी महिलाओं की अपनी कोई अलग पहचान नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था की बागडोर प्रायः पुरुषों के पास रहती है। ज्यादातर के पास जमीनों के मालिकाना हक भी नहीं हैं। उनकी अशिक्षा, अनभिज्ञता, उदासीनता और अंधविश्वास रास्ते में रोड़े साबित होते हैं। पुरुषों की तुलना में उन्हें मजदूरी भी कम मिलती है, शिक्षा, सूचना तथा मनोरंजन के अवसर उन्हें अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के स्तर से निरंतर इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि कृषि कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन, बाल विकास तथा पोषाहार से सम्बन्धित तकनीकी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। प्रचार–प्रसार के प्रयासों के बावजूद बहुत कम महिलाएं कृषि, पशुपालन, गृह वाटिका तथा गृह विज्ञान के नवीनतम तकनीकी से लाभान्वित हुई हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सहकारी समितियों में महिलाओं को सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है जिससे कृषक महिलाओं को भी सहकारी समितियों से ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, कृषि उत्पादों का विपणन आदि की सुविधा मिल सके। महिलाओं को संस्थागत ऋण प्राप्त हो इसके लिए खेत पर पति–पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टा होना चाहिए। कृषक महिलाओं की कुशलता और उनके कृषि औजारों की दक्षता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के समग्र विकास के लिए कृषि कार्यों में जुड़ी कृषक महिलाओं का सशक्तिकरण करना अति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, अमित : 'भारत में ग्रामीण समाज', विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011य पृ0सं0–2, 12–21।
2. डे, डॉ0 सीमा, डॉ0 नीलिमा श्रीवास्तव एवं डॉ0 वी0के0 झा : प्रसार शिक्षा निदेशालय– बिरसा, कृषि विश्वविद्यालय रॉचीय जनवरी–दिसम्बर 2009।
3. देशाई, प्रो0ए0आर0 : भारतीय ग्रामीण–समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1997, पृ0सं0–54–55।
4. अग्रवाल, अमित : 'भारत में ग्रामीण समाज', विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011य पृ0सं0–2, 25–32।
5. राजकुमार (संपा) : 'महिला एवं विकास', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृ0सं0–169–170।
6. डेहरिया, शोभाराम : 'कृषक समाज में महिलाओं की भूमिका–एक अध्ययन'य राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, जनवरी–जून 2013य पृ0सं0–84।

*****